न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
शैतानसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण निवासी कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी पटवारी हल्का रूपपुरा टोरड़ा

प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act 1956

प्रार्थना–पत्र नम्बर 85/ **2020** **RCMS No.** 2020/00171

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.8.2020	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थीगण विरूद्व प्रस्तुत किया। राजस्व प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 272, 273, 274 के पूर्व दिशा में राजस्व नक्शे में दर्ज किस्म गै.मु. पाल खसरा नम्बर 275 के रकबे 0.4390 हैक्टर में प्रार्थी के कच्चे–पक्के निर्माण एवं चारदिवारी को किसी भी प्रकार से क्षति नही पहुंचाए न ही हटावें तथा प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नही लावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 25.09.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
25/9/2020	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण उप. जवाबदावा समय चाहा है प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 [illegible] धारा 151 [illegible] [illegible] प्रार्थी [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र अ. आदेश 6 नियम 12 [illegible] [illegible] हेतु वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 20.10.2020 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 85/अर्जीनाराय[illegible] / सरकार RCMS-2020/00171

दिनांक	कार्यवाही
20/10/2020	वकील प्रार्थी एवं राजस्व पैरोकार उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा कि समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] सिटी (नागौर)
27/10/2020	वकील प्रार्थी एवं राजस्व पैरोकार उपस्थित। बहस हेतु उचित अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] सिटी (नागौर)
28/10/2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 LRAct 1955 का आदेश हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील इन्द्राज रजिस्टर में दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested